



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012023-242043
CG-DL-E-18012023-242043

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]
No. 40]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2023/पौष 27, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2023/PAUSHA 27, 1944

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2023

संदर्भ: HQ-PUB-BIS (499).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में निचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधनकरता है:

- 1) **संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (438)** दिनांक 27 अक्टूबर 2022 (प्रकाशित दिनांक 11 नवम्बर 2022)

अनुसूची के क्रम संख्या 7, कॉलम (4) में – 'आई एस 7754 (भाग 1) : 1975' को 'आई एस 7754 : 1975' से प्रतिस्थापित करें।

- 2) **संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (417)** दिनांक 6 अक्टूबर 2022 (प्रकाशित दिनांक 14 अक्टूबर 2022)

अंग्रेजी अनुसूची के क्रम संख्या 01 से 09, कॉलम (3) में – '29 Sept 2022' को '28 Sept 2022' से प्रतिस्थापित करें।

अंग्रेजी अनुसूची के क्रम संख्या 01, 02, कॉलम (5) में – '29 oct 2022' को '28 Oct 2022' से प्रतिस्थापित करें।

अनुसूची के क्रम संख्या 4, कॉलम (5) में – मौजूदा एन्ट्री को '9 जुलाई 2023' से प्रतिस्थापित करें।

3) संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (467) दिनांक 14 दिसम्बर 2022 (प्रकाशित दिनांक 20 दिसम्बर 2022) अनुसूची के क्रम संख्या 13, कॉलम (2) में — 'आई एस ओ 22915-11 : 2011' को 'आई एस/आई एस ओ 22915-11 : 2011' से प्रतिस्थापित करें।

4) संदर्भ: HQ-PUB012/4/2020-PUB-BIS (273) दिनांक 23 दिसम्बर 2021 (प्रकाशित दिनांक 27 दिसम्बर 2021)

अनुसूची के क्रम संख्या 1, कॉलम (5) में — '22 दिसम्बर 2022' को '22 दिसम्बर 2023' से प्रतिस्थापित करें।

पी. राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी, टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./566/2022-23]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th January, 2023

Ref: HQ-PUB-BIS (499).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

1) **Extraordinary vide HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (438) dated 27 October 2022 (Published on 11 November 2022)**

Sl. No. 07, column (4) of schedule in — Substitute 'IS 7754 : 1975' for 'IS 7754 (Part 1) : 1975'.

2) **Extraordinary vide HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (417) dated 06 October 2022 (Published on 14 October 2022)**

Sl. No. 01 to 9, column (3) of the English schedule — Substitute '28 Sept 2022' for '29 Sept 2022'.

Sl. No. 01,02, column (5) of the English schedule — Substitute '28 Oct 2022' for '29 Oct 2022'.

Sl. No. 04, column (5) of schedule — Substitute '9 July 2023' for the existing.

3) **Extraordinary vide HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (467) dated 14 December 2022 (Published on 20 December 2022)**

Sl. No. 13, column (2) of schedule in — Substitute 'IS/ISO 22915-11 : 2011' for 'ISO 22915-11 : 2011'.

4) **Extraordinary vide HQ-PUB012/4/2020-PUB-BIS (273) dated 23 December 2021 (Published on 27 December 2021)**

Sl. No. 1, column (5) of schedule in — Substitute '22 December 2023' for '22 December 2022'

P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Ext./566/2022-23]